

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-66/2017/4011/पांच-8-2017-टी(26)/2017

लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित पद एवं तैनात चिकित्साधिकारियों को मानव सम्पदा साफ्टवेयर के आधार पर चिकित्सकों द्वारा तैनाती/स्थानान्तरण के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की निर्गत स्थानान्तरण नीतिनुसार तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम/गृह जनपद/ वरि०क्र०	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	डा० महेन्द्र कुमार/ कानपुर देहात/11417	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर
2	डा० अल्का शुक्ला/ देवरिया/9272	जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, संत कबीर नगर।
3	डा० शैय्यद गैशुल हसन/इलाहाबाद	सामु० स्वा० केन्द्र, बेलसार गोण्डा	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर।

2- उक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपनी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

**अजीत कुमार,**  
विशेष सचिव।

-2/-


1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-66/2017/4011(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, 30प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, 30प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफटवेयर में अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,कानपुर/बस्ती/मिर्जापुर/गोण्डा मण्डल।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज/कानपुर नगर/संत कबीरनगर/गोण्डा/मिर्जापुर।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी,कन्नौज/कानपुर नगर/संतकबीर नगर/गोण्डा/मिर्जापुर ।
- 7- संबंधित चिकित्साधिकारी ।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(शिवगोपाल सिंह)  
अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।